न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 136 / 2020 — अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
शंकरदान पुत्र बस्तीदान जाति चारण, निवासी करणीनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. गुलाम मोहम्मद पुत्र लतीफ जाति मुसलमान, निवासी नेगरड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. प्रबंधक, एस.बी.आई. बैंक शाखा शिव 3. प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शिव 4. प्रबंधक, बाड़मेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बाड़मेर 5. भागो पत्नी गुलाम मोहम्मद 6. कसुम्बा पत्नी कादरा 7. जामा पत्नी मठार 8. राणी पत्नी मुबारक जाति मुसलमान, निवासी नेगरड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी - श्री भगवानदास गोयल।

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 18.11.2024

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल झाफलीकला के ग्राम चक नेगरड़ा के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 8.1827 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	शंकरदान पुत्र बस्तीदान कौम चारण सा. भंवरीसर रहन RMGB शाखा शिव	चक नेगरड़ा	8	2.7276	बा.दो.	-	लाल
2	गुलाम मोहम्मद पुत्र लतीफखान, भागो पत्नी गुलाम मोहम्मद, कसूम्बा पत्नी कादरा, जामा पत्नी मठार, राणी पत्नी मुबारक कौम मुसलमान सा. नेगरड़ा रहन भागा का हिस्सा BCCB शाखा शिव	चक नेगरड़ा	8 8 02	2.7276 2.7275 5.4551	बा.दो.	-	

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री मुर्त्तब जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:49:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner